संख्या- 91 /2019/1309/24-1-19-2422/2008

प्रेषक:

महावीर प्रसाद गौतम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2019**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 के शासकीय आय व्ययक में ओबरा सी 2 660 मेगावाट तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-50/उ0नि0लि0/नि0 (वित्त), दिनांक 19 जून, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को ओबरा 'सी' तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अंशपूँजी विनियोजन में प्राविधानित धनराशि रूपये 624,00,00,000/- (रूपये छः सौ चौंबीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 574,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ चौहत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उक्त प्रस्तर में स्वीकृत धनराशि का आहरण माह अगस्त, 2019 में धनराशि रूपये 174,00,00,000/- (रूपये एक सौ चौंहत्तर करोड़ मात्र) एवं माह सितम्बर, 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक धनराशि रूपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करौड़ मात्र) की चार समान मासिक किश्तों में किया जायेगा एवं उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण विधिवत चयनित कार्यदायी संस्था को मोबिलाईजेशन अग्रिम के भुगतान की आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी।

4- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

5- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी0-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

8- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन -190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-14-उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0-1409- ओबरा 'सी' तापीय परियोजना 2 660 मेगावाट की स्थापाना हेतु अंशपूँजी विनियोजन -30- निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 239 /दस-2019, दिनांक 26 जुलाई, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

<u>संख्या- 91 /2019/1309(1)/24-1-19, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम/(लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग,प्रयागराज 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in